34/2019

18/6/2020 तारीख 27/7/2020 को लॉक डाउन होने से पत्रावली निर्णय नहीं पारित किया जाना हुआ। अतः तारीख बढ़ाकर पत्रावली वास्ते बहस तारीख 10/7/2020 को पेश हो।

10/7/2020 पत्रावली पेश हुई। वकील रेस्पाडेंट उपस्थित। उन्होंने एवं प्रार्थना-पत्र मय निर्णय प्रति (SDO गोपालगढ़ के प्र. सं० 06/2019 निर्णय तारीख 23.3.2020) पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में वकील अपीलांट श्री शेरसिंह राठौड़ को उनके मो.नं० 9414410269 पर कॉल किया जिसे भाटी साहब (श्री प्रकाश भाटी) ने उठाया। उन्होंने अपील के संबंध में, प्रस्तुत आवेदन के बारे में उन्हें तथ्यपरक अभिलेखीय जानकारी बताने पर, इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने प्रस्तुत निर्णय प्रति के अनुसरण में विशेषसमन्त कार्यवाही हेतु अपनी सहमति दी।

रेस्पाडेंट के अभिभाषक ने धारा 151 CPC के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर कहा कर बताया कि अपी० न्यायालय के आदेश दि. 18/3/2019 के विरुद्ध अपील अपीलांट ने पेश की। अपीलीय न्यायालय में दावा बाबत खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरस्ती का था जिसका निर्णय दि. 13/2/2020 को हो चुका है। अतः कि जब मूल दावे का ही निस्तारण हो गया है इसलिए यह अपील अब प्रभावहीन हो चुकी है इसलिए इस अपील को प्रभावहीन होने से खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना-पत्र एवं उसके संलग्न प्रस्तुत निर्णय दि. 13.3.2020 की प्रति देखी गई। प्रार्थना-पत्र के तथ्यों की ताईद होती है। अपी० न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोपालगढ़ (AC) के शासन बाद सं० 06/2019 मांगीलाल बनाम चुन्नाराम में निर्णय दि. 13.3.2020 होने से प्रकरण का निस्तारण हो जाने से न्यायालय द्वारा में प्रस्तुत अपील 34/2019 का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अपील प्रभावहीन होने से खारिज योग्य है निहायत इसे खारिज किया जाता है। पत्रावली फोल हो। रिकॉर्ड लाईब्रेरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2